संख्या-01 /2023/2855 /001-E-1759421

प्रेषक,

डॉ. राजेन्द्र पैंसिया,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
स्थानीय निकाय निदेशालय,
उ.प्र. लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-7 लखनऊ दिनांक : 12 दिसम्बर , 2023

विषय-''मुख्यमंत्री-ग्रीन रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम (अर्बन)'' (सी.एम. ग्रिड्स) योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023—24 के आय—व्ययक के अनुदान संख्या—37 के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रूपया 4900.00 लाख को निवर्तन पर रखे जाने के संबंध में।

महोदय,

अवगत है कि शासनादेश संख्या-2112/नौ-7-2023-03(ज)/2023, दिनांक 13.10.2023 द्वारा ''मुख्यमंत्री-ग्रीन रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम (अर्बन)'' (सी.एम. ग्रिड्स) के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं। उक्त दिशा—निर्देशों के अन्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल 16 नगर निगमों द्वारा उपलब्ध कराये गये सड़क विकास के कार्यों के आधार पर व्यय की जाने वाली अनुमानित धनराशि ₹49000.00 लाख की कार्ययोजना पर अनुमोदन प्रदान करते हुए उक्त धनराशि रूपया 49000.00 लाख निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निदेशक स्थानीय निकाय निदेशालय उ.प्र. लखनऊ के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्ध

(1) ''मुख्यमंत्री-ग्रीन रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम (अर्बन)'' (सी.एम. ग्रिड्स) योजना की गाइड लाइन्स के दिशा-निर्देशों में निर्धारित प्रक्रियानुसार सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त धनराशि संबंधित निकाय (नगर निगम) को व्यय हेतु उपलब्ध करायी जायेगी। योजना की गाइडलाइन्स का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) योजनान्तर्गत दिशा—निर्देशों के अधीन निकायों में प्रस्तावित कार्यो/परियोजना के संबंध में वित्त विभाग के शासनादेशों के अधीन प्रशासकीय वित्तीय स्वीकृति तथा उक्त के सापेक्ष अवमुक्त किये जाने वाली धनराशि के संबंध में निर्गत शासनादेशों के अनुसार तथा उक्त संबंधित शासनादेशों में निर्धारित शर्तें एवं प्रतिबन्धों के अधीन ही धनराशि संबंधित निकाय (नगर निगम) को व्यय हेतु उपलब्ध करायी जायेगी।

(3) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जाएगा।

(4) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जाये। कार्य की मदों में परिवर्तन किया जाना अनुमन्य नहीं होगा।

(5) स्वीकृत किये जा रहे कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं/कार्यक्रमों में पुनरावृत्ति नहीं की जायेगी। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्यंस्रोतों से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है।

(6) निवर्तन पर रखी गयी धनराशि का आहरण कर बैंक खातो में नहीं रखा जायेगा। योजना में धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार किया जायेगा। वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक 17 मार्च,2023 में दिये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) 'सेंटेज चार्जेज, निर्माण लागत तथा वित्तीय स्वीकृति से सम्बंधित वित्तीय प्रबंधन' सम्बंधी वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75 दिनांक 17 मई, 2023 तथा शासनादेश संख्या-02/2023/ए-2-66/दस-2023-17(4)/75 दिनांक 19 मई, 2023 के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) योजनान्तर्गत निकायों को अनुमन्य अनुदान के अन्तर्गत परियोजना प्रस्ताव प्राप्त होने पर तथा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-3 शासनादेश संख्या-2/2017/बी-3-1034/दस/2017-100(4)/2002 ब0मै0 दिनांक 21.11.2017 के प्राविधानानुसार बजट मैनुअल के पैरा- 94 के तहत सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करते हुये धनराशि के व्यय के संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

(9) प्रश्नगत धनराशि नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है जिस मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उस मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय, का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(10) इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 49000.00 लाख (रूपया चार अरब नब्बे करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या-037 लेखाशीर्ष-2217-शहरी विकास -05-अन्य शहरी विकास योजनाये 800-अन्य व्यय -0900-सड़क सुधार हेतु व्यवस्था (मुख्यमंत्री सड़क सुधार योजना) मानक मद 35 पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के नामे डाला जायेगा।

2. यह आदेश यू0ओ0 संख्या-E-9-358-X-2023-24-दिनांक: 11-12-2023 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

Digitally Signed by
डॉ.राजेंद्र पैंसिया
Date: 12-12-2023 17:42:35
Reason: Approved

(डॉ. राजेन्द्र पैंसिया)
विशेष सचिव।

संख्या-01 /2023/2855(1) /001-E-1759421 तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. सी.ई.ओ. यूरिडा लखनऊ।
3. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम उ.प्र.।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ, उ0प्र0।
5. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उ0प्र0, प्रयागराज।
6. वित्त (व्यय नियंत्रक) अनुभाग-9/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, 2
7. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,

Digitally Signed by कल्यान वनर्जी
Date: 12-12-2023 18:53:40
Reason: Approved

(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव।